*माननीय वी. एम. जैन जे. के समक्ष*

मेसर्स सेंचुरी प्रोटीन्स लिमिटेड,-याचिकाकर्ता

*बनाम*

मेसर्स शाम सुंदर (हरियाणा) इंडस्ट्रीज पी. वी. *टी. लिमिटेड.,-उत्तरदाता*

*1998 का* सी. आर. सं. 1514

24 फरवरी, 2000

*सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- ऑर्डर 39 नियम 1 और 2 और धारा 10- मुकदमे पर धारा 10 सी. पी. सी के तहत रोक .-वादी द्वारा ऑर्डर 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन भरा पर रोक लगा दी-क्या इस तरह के आवेदन पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है-निर्धारित हुआ, हाँ-सी. पी. सी. की धारा 10 न्यायालय को अंतर्वर्ती आदेश देने से नहीं रोक सकती है।*

निर्धारित किया गया कि विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित करना पूरी तरह से उचित था कि वह आदेश 39 नियम 1 और 2 सी. पी. सी. के तहत आवेदन से निपटने के लिए सक्षम था, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमे को धारा 10 सी. पी. सी. के तहत रोक दिया गया था। इस प्रकार, पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, इसे खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 8)

आर. एल. शर्मा, *अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।*

आर. के. जैन, *अधिवक्ता, प्रत्यर्थी की ओर से।*

निर्णय

*माननीय श्री वी. एम. जैन, जे*

(1) यह जिला न्यायाधीश द्वारा पारित 11 मार्च, 1998 के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय आदेश 39 नियम 1 और 2, सी. पी. सी. के तहत आवेदन को सुनने और निर्णय लेने के लिए सक्षम था, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमे की सुनवाई पर अदालत द्वारा *14* जून, 1997 के आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई थी।

(2) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के निपटारे के लिए जो तथ्य आवश्यक हैं, वे यह हैं कि मैसर्स शाम सुंदर (हरियाणा) इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (वादी) ने मैसर्स सेंचुरी प्रोटीन लिमिटेड (प्रतिवादी) के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें प्रतिवादी को ट्रेडमार्क "गोपाल वनस्पति" का उपयोग करने के विशेष अधिकार के ट्रेडमार्क के तहत वनस्पति तेल के उत्पादों के निर्माण, बिक्री, बिक्री के लिए पेशकश या अन्यथा लेनदेन और पारित करने से रोकने के लिए वादी कंपनी के व्यापार नाम, प्रतिलिपि अधिकार और "गोपाल वापस्पति" के ट्रेडमार्क को पारित करने से रोकने की मांग की गई थी।प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान भरकर उक्त मुकदमे का विरोध किया गया था।तत्पश्चात, पक्षकारों के बीच लंबित एक अन्य मुकदमे के कारण मुकदमे पर रोक लगाने के लिए धारा 10, सी. पी. सी. के तहत प्रतिवादी के एक आवेदन पर, विद्वान जिला न्यायाधीश ने 14 जून, 1997 के आदेश के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित 1997 के पूर्व स्थापित मुकदमे संख्या 502 को देखते हुए वर्तमान मुकदमे पर रोक लगा दी।बाद में, विद्वान जिला न्यायाधीश ने अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान के लिए वादी द्वारा दायर आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े।कथित कदम को प्रतिवादी द्वारा यह प्रस्तुत करते हुए चुनौती दी गई थी कि एक बार मुकदमे के मुकदमे पर रोक लगा दी गई थी, आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जा सका।विद्वान जिला न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख पर गौर *करने* के बाद, 11 मार्च, 1998 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी की इस आपत्ति को खारिज कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी, फिर भी वह उक्त आवेदन को सुनने के लिए सक्षम था।विद्वान जिला न्यायाधीश के उक्त आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

(3) प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था।पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना गया है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया कि विद्वान जिला न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कानूनी रूप से गलती की कि आदेश 39 नियम 1 और 2 सी. पी. सी. के तहत आवेदन की सुनवाई और निर्णय उनके द्वारा इस तथ्य के बावजूद किया जा सकता है मुकदमे पर धारा 10, सी. पी. सी. के तहत रोक लगा दी गई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या इस विषय पर कोई मामला कानून है, विद्वान वकील ने कहा कि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे कोई ऐसा केस लॉ नही पा सके

। दूसरी ओर, वादी-प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के इस आशय के कई फैसले हैं कि भले ही मुकदमे के मुकदमे पर रोक लगा दी गई हो, फिर भी आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन पर अदालत द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने वी. *पी. वृंदा बनाम इंदिरा* देवी *और अन्य (1),* वी. *आर. बालकृष्णन नादर बनाम आर. वेलायुधन नादर और* अन्य *(2), बाबूराव विट्ठलराव सुलुंके बनाम कादरप्पा प्रसप्पा डब्बन्नवर* और *एक अन्य (3), श्रीमती.* कुलसुम निसान *बनाम मोहम्मद फारूक और* अन्य *(4) और सेनाजी कपूरचंद और अन्य बनाम पन्नाजी देवीचंद (5) के केशों को अदालत के सामने रखा ।*

(5) दोनों पक्षों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड को देखने के बाद, मुझे वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

(6) विद्वान जिला न्यायाधीश ने 11 मार्च, 1998 को विवादित आदेश पारित करते हुए 1995 (1) एल. जे. आर. 177 में केरल उच्च *न्यायालय द्वारा निर्धारित* कानून पर भरोसा रखा था, जो ए. आई. आर. 1995 केरल 57 (उपरोक्त) के बराबर है।उक्त प्राधिकारी में यह केरल उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः—

> "उपरोक्त चर्चा से, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता केवल धारा 10, सी. पी. सी. के तहत मुकदमे पर रोक लगाने का हकदार है। स्पष्ट रूप से, इसलिए, भले ही मुकदमे पर रोक लगा दी गई हो, न्यायालय को निषेधाज्ञा, प्राप्तकर्ता की नियुक्ति या निर्णय से पहले कुर्की के आदेश की प्रकृति में अंतर्वर्ती आदेश पारित करने का अधिकार होगा।जहाँ तक आदेश 39, नियम 1, सी. पी. सी. के तहत याचिका का संबंध है, न्यायालय का संबंध केवल प्रथम दृष्टया मामले, अपूरणीय क्षति और क्षति और सुविधा के संतुलन से होगा।उस पहलू में एक या दूसरे तरीके से निष्कर्ष निकालना मुकदमे में मुद्दे के विचार को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है।उक्त पहलू के संबंध में एक जांच को धारा 10, सी. पी. सी. के अर्थ के भीतर परीक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, धारा 10 सी. पी. सी. के तहत मुकदमे के परीक्षण पर रोक अदालत को इस तरह के अंतर्वर्ती आवेदन पर विचार करने से नहीं रोक सकती है।

(1) . आई. आर. 1995 केरल 57
(2) ए. आई. आर. 1980 केरल 161
(3) ए. आई. आर. 1974 मैसूर 63
(4) ए. आई. आर. 1969 इलाहाबाद 479
(5) ए. आई. आर. 1922 बॉम्बे 276

(6) केरल उच्च न्यायालय ने वी. आर. बालकृष्णन नादर *के मामले (उपरोक्त) पर* भरोसा किया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निषेधाज्ञा या नियुक्ति जारी करने की प्रकृति में एक अंतर्वर्ती आदेश किसी प्राप्तकर्ता के, या निर्णय से पहले कुर्की के आदेश को मुकदमे को प्रभावित करने वाले मामले के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार, धारा 10, सी. पी. सी. के तहत रोक नहीं लगाई जा सकती है। उक्त प्राधिकरण में, बाबूराव विट्ठलराव सुलुंके के *मामले (उपरोक्त) में* मैसूर के उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर निर्भरता रखी गई थी।उक्त प्राधिकारी में मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 10, * सी. पी. सी. एक वाद के मुकदमे के स्थगन का उल्लेख करती है न कि एक अंतर्वर्ती चरित्र की अन्य कार्यवाहियों का।उक्त मामले में निचली अदालत ने फैसले से पहले कुर्की के अनुदान के लिए आदेश 38 नियम 5, सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर इस आधार पर फैसला करने से इनकार कर दिया था कि मुकदमे पर धारा 10, सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार रोक लगा दी गई थी। मैसूर उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर *लिया, निचली अदालत* के आदेश को दरकिनार कर दिया और निचली अदालत को कानून के अनुसार मामले का फैसला करने का निर्देश दिया।सेनाजी कपूरचंद के मामले (उपरोक्त) में बंबई उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 10, सी. पी. सी. के तहत मुकदमे पर रोक लगाने का आदेश अदालत को प्राप्तकर्ता के लिए आदेश या निषेधाज्ञा या निर्णय से पहले कुर्की के आदेश जैसे अंतर्वर्ती आदेश देने से नहीं रोकता है।

(8) उपर्युक्त अधिकारियों में विभिन्न उच्च सेनाओं द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, विद्वान जिला न्यायाधीश•यह अभिनिर्धारित करना पूरी तरह से उचित था कि वह आदेश 39 नियम 1 और 2, सी. पी. सी. के तहत आवेदन से निपटने के लिए सक्षम था, इस तथ्य के बावजूद कि मुकदमे के मुकदमे को धारा 10, सी. पी. सी. के तहत रोक दिया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा मेरे सामने इसके विपरीत किसी भी अधिकार का हवाला नहीं दिया गया था।

(9) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, इसे लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया जाता है।

*अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी

जिला
न्यायालय, गुरुग्राम, हरियाणा